न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 161—A / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. सन्दीप कुमार पुत्र कुनणराम उर्फ कुन्दनराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।

वादी

बनाम्

1. कुनणराम उर्फ कुन्दनराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।
2. सीमा रानी पुत्री कुनणराम उर्फ कुन्दनराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।
3. मनदीप कौर पुत्री कुनणराम उर्फ कुन्दनराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।
4. बलजीत कौर पुत्री कुनणराम उर्फ कुन्दनराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।
5. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री संजय धारणियां वकील वादी
2— श्री बलवन्त झोरड़— वकील प्रति सं. 1 ता 4
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 5

दिनांक :— 29.5.2024

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त परिवार की सांझा कृषि भूमि जो कि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 43/20 में 0.316 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की हिन्दु संयुक्त परिवार सहदायिक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने वादपत्र कि चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का घरू विभाजन कर रखा है। घरू विभाजन में वादी को 0.316 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने हिस्सा अनुसार घरू

Signature Not Veri
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.05.31 12:38
Reason: SelfAttested

विभाजन कर लिया है वादी वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार चक 3 एएमपी के खाता संख्या 43/20 में कुल 0.316 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व प्रतिवादी संख्या 1 कानाम कलमजन करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की सगी बहन है। पतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में घरू विभाजन अनुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को कोई हिस्सा शेष नही है। वादी ने बाद में प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 से निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लेवे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त में कतई स्पष्ट इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है। तहसीलदार राजस्व संगरिया को भू-धारक होने के कारण प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद बाबत घोषणात्मक हक का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है अन्दर मियाद है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि चक 3 एएमपी के खाता सं. 43/20 में कुल 0.316 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व प्रतिवादी संख्या 1 कुनणराम का नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संदीप कुमार ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 3 एएमपी खाता संख्या 43/20 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 प्रदर्श-1 करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वा[illegible] किया कि चक 3 एएमपी खाता संख्या 43/20 जमाबन्दी [illegible] जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन [illegible] प्रतिवादी आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुके [illegible]या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.05.31 12:38:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
[illegible] अधिकारी
संगरिया

वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की सगी बहिन है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 3 एएमपी खाता संख्या 43/20 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में 1/2 हिस्सा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 कुनणराम उर्फ कुंदनराम के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर अपना समस्त हक/हिस्सा का परित्याग वादी सन्दीप कुमार के पक्ष में कर दिया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 कुनणराम पुत्र पालाराम के नाम चक 3 एएमपी के खाता संख्या 43/20 ज.स. 2072–2075 सांझा खाता में 1/2 हिस्सा दर्ज आराजी का वादी सन्दीप कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 कुनणराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.05.31 12:38:51 I
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 161.A / 2024

सन्दीप कुमार पुत्र कुनणराम उर्फ कुन्दनराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।

वादी

बनाम्

1. कुनणराम उर्फ कुन्दनराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।
2. सीमा रानी पुत्री कुनणराम उर्फ कुन्दनराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।
3. मनदीप कौर पुत्री कुनणराम उर्फ कुन्दनराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।
4. बलजीत कौर पुत्री कुनणराम उर्फ कुन्दनराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद एस ए एस नगर बठिण्डा।
5. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री संजय धारणियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री बलवन्त झोरड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 एएमपी के खाता संख्या 43 / 20 ज.स. 2072–2075 सांझा खाता में 1 / 2 हिस्सा दर्ज आराजी का वादी सन्दीप कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 कुनणराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......वावत्......X......निल......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......X...... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......................को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.31 12:38:51
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया